


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मोपूर ग्वालियर सर्किट लोट रीवा
मोपूर ॥



₹ 15/-

R. 2502-2016

1- दामोदर पुसाद शुक्ला आत्मज श्री रामराख्न शुक्ला उमी लगभग
52 बर्ष पेसाकृषि ।

2- पुढीप कुमार शुक्ला आत्मज श्री रामराख्न शुक्ला उमी लगभग
50 बर्ष पेसा नौकरी -दोनों निर्ग्राम पिपरी धाना व तहसील
मध्यांज, जिला रीवा ₹मोपूर ॥ - - - - - निगरानीर गा.
बनाम

1- रामसुमेर शुक्ला आत्मज स्व. रविलाल पुसाद शुक्ला उमी लगभग
50 बर्ष ।

2- रमेश कुमार शुक्ला आत्मज स्व. लालमणि शुक्ला उमी लगभग 40 बर्ष ।

3- नागेन्द्र पुसाद शुक्ला आत्मज स्व. लालमणि शुक्ला उमी लगभग 35 बर्ष ।

4- श्रवण कुमार आत्मज स्व. लालमणि शुक्ला उमी लगभग 30 बर्ष ।

5- मनोज कुमार आत्मज स्व. रामसुमील शुक्ला उमी लगभग 25 बर्ष ।

6- मानेश्वर पुसाद तनय स्व. रामसुमील शुक्ला उमी लगभग 35 बर्ष ।

7- रामशुभ्रह तनय स्व. रविलाल पुसाद शुक्ला उमी लगभग 65 बर्ष ।

8- रामनेश तनय स्व. रविलाल पुसाद शुक्ला उमी लगभग 55 बर्ष ।

सभी निर्ग्राम पिपरी धाना व तहसील मध्यांज जिला रीवा मोपूर

9- प्रासन मोपूर - - - - - गैर निगरानीर गा.

निगरानीर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मोपूर

भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई०।

निगरानीर बिल्ह आदेश न्यायालय श्रीमान्
नायव तहसीलदार पृत्ता सीतापुर के तहसील
मध्यांज जिला रीवा ₹मोपूर ॥ के पुर्णो/०५/३५/
१३-१४ आदेश दिनांक २८-०५-०१४, ।

महानुभाव,

अन्य के अतिरिक्त, जो बक्त तर्क पेश किए जावेंगे, निगरानीर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0-R.2507-II / 14

जिला+रीवा

दामोदर/रामसुरेश

(1)	(2)	(3)
20.07.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है तथा अनावेदक क्र0 1 कैवियटकर्ता तथा उनके अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दाद. हो।</p>	